

मुख्यमंत्री ने पीयूष गोयल से की मुलाकात, निवेश पर हुई चर्चा

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। बैठक में प्रदेश में नए उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेशकों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने जैसे विषयों पर विचार-विमर्श हुआ।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को मध्य प्रदेश में उपलब्ध निवेश की व्यापक संभावनाओं, बेहतर अधोसंरचना और उद्योगों के अनुकूल माहौल की जानकारी दी। उन्होंने नए निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुलाकात के दौरान औद्योगिक विस्तार, निर्यात को बढ़ावा देने और प्रदेश की आर्थिक क्षमता को नई ऊंचाई देने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के समन्वय से कार्य करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश और उद्योगों के लिए लगातार अधिक अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है।



12 सितंबर की लोक अदालत के लिए प्रचार रथ रवाना



नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्र: वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए मंगलवार को जिला न्यायालय भोपाल परिसर से प्रचार रथ रवाना किए गए। प्रधान जिला न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर को किया जाएगा।

प्रचार रथ भोपाल शहर के विभिन्न क्षेत्रों के साथ सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी पहुंचेंगे। आँडियो जिंगल और आकर्षक फ्लेक्स बैनरों के माध्यम से लोगों को लोक अदालत के

बारे में जानकारी दी जाएगी और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ लेने के लिए जागरूक किया जाएगा।

इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश राजर्षि श्रीवास्तव, जिला न्यायाधीश दीपक बंसल, संजय कुमार शाही, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंगोन्नी कुमार द्विवेदी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायाधीश सुनीत अग्रवाल उपस्थित रहे। प्रशासन, पुलिस और जिला अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की।

संस्कार और विनम्रता से बनती है इंसान की असली पहचान : सिद्धभाऊ



नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्र: विद्यासागर पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस सम्मान समारोह उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से शिक्षकों के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कीं।

कार्यक्रम में संत सिद्धभाऊजी ने बच्चों को संस्कार और शिक्षा का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके संस्कारों से होती है। संस्कार, विनम्रता और व्यवहार कुशलता के बिना बड़ी से बड़ी डिग्री भी अधूरी है। शिक्षा का

मूल उद्देश्य बच्चों को संस्कारवान और अच्छा इंसान बनाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चे भाषण का स्वरूप हैं और उन्हें सही दिशा देना प्रभु सेवा के समान है। शिक्षकों को बच्चों को प्रेम, स्नेह और प्रोत्साहन के साथ शिक्षा देनी चाहिए।

प्रधानाध्यापिका मिश्री वासवानी ने डॉ. राधाकृष्णन के योगदान पर प्रकाश डाला। शिक्षिकाओं को उपहार देकर सम्मानित किया गया। बच्चों ने भाषण और नृत्य प्रस्तुत किए। संचालन मिनी धारवा तथा आभार मनदीप कौर ने व्यक्त किया।

OFFICE OF THE SECRETARY
KRISHI UPJ MANDI SAMITI
BERASIA, DISTT. BHOPAL
N.I.T. No./E-Tendering/mandi/26-27/670 Berasia, Dated 31.08.26

NOTICE INVITING TENDER

Online Percentage Rate E-Tenders are invited from contractors registered with the Office of the Engineer in Chief, M.P. Public Works Department, Government of Madhya Pradesh (Centralized Registration Cell) for External Electrification work at mandi yard Berasia Distt. Bhopal Tender Number : 2026_MPSAM_532833_1 (PAC amount Rs. 48.11 Lac.) The following work Tender to be Received Online up to 5:30 PM on Dated 24.09.2026 Technical bid documents with EMD & Financial Offer to be received online only as per Detailed NIT. The tender documents can be obtained online on the <http://mptenders.gov.in> as per the Notice Published on the above Portal and detailed information can also be seen on website www.mpmmandiboard.gov.in

Note :- Any corrigendum in this NIT, if required, shall be displayed only on our above portal regarding any matter included in this NIT or otherwise. Other details of Construction/ Development works and locations & key dates can also be seen on our website <http://mptenders.gov.in>

M.P. Madhyam/127822/2026

SECRETARY

‘हमारी आंगनबाड़ी, हमारी जिम्मेदारी’, 9 से राष्ट्रीय पोषण माह

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्यप्रदेश में 9वां राष्ट्रीय पोषण माह इस वर्ष ‘हमारी आंगनबाड़ी, हमारी जिम्मेदारी’ की थीम पर मनाया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग 9 सितंबर से प्रदेशभर में पोषण, बाल विकास और मातृ स्वास्थ्य को लेकर व्यापक जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित करेगा।

पोषण माह के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण, देखभाल और प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास की गतिविधियों का प्रभावी केंद्र बनाने के साथ समुदाय की भागीदारी बढ़ाने पर जोर रहेगा। स्थानीय खाद्य पदार्थों, संतुलित आहार और पर्याप्त प्रोटीन के महत्व से लोगों को जागरूक किया जाएगा। पोषण मेले, पोषण वाटिकाएं और पौष्टिक व्यंजनों के प्रदर्शन भी आयोजित किए जाएंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों में तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को मिलने वाले गर्म पके भोजन की गुणवत्ता और विविधता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भोजन की स्वच्छता और पोषण स्तर की निगरानी में अभिभावकों, पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों और मातृ समितियों को सहभागी बनाया जाएगा। केंद्रों पर भोजन सूची भी प्रदर्शित की जाएगी। पोषण माह में बच्चों के जीवन के पहले एक हजार दिनों को विशेष महत्व दिया जाएगा। इस दौरान उचित पोषण, देखभाल और बच्चों के विकास में होने वाली देरी की समय पर पहचान को लेकर जागरूकता अभियान चलेंगे।

रक्षाबंधन उत्सव में हजारों बहनों ने विधायक को बांधी राखी

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्र: पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि उपज मंडी भैंसाखेड़ी में रक्षाबंधन उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संत हिरदाराम नगर और फंदा क्षेत्र की हजारों बहनों ने विधायक रामेश्वर शर्मा को राखी बांधकर अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया। कोलार और गांधीनगर के बाद इस वर्ष क्षेत्र में आयोजित यह तीसरा बड़ा रक्षाबंधन कार्यक्रम रहा।

विधायक शर्मा ने कहा कि रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि समाज में प्रेम, स्नेह और

विश्वास को मजबूत करने का अवसर है। बहनों का प्रेम और आशीर्वाद उनके लिए अमूल्य है तथा यही उन्हें जनसेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही हैं और महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। आयोजन में दौरान विधायक ने बहनों के साथ सामूहिक सेल्फी भी ली। इस दौरान हाथों में राखी लिए हजारों बहनों ने अपने भाई के प्रति स्नेह और आशीर्वाद व्यक्त किया।



मध्यप्रदेश में चीनी भंडारण पर सख्ती, डीलर नहीं रख सकेंगे 4 हजार विक्टल से अधिक स्टॉक

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने चीनी के भंडारण को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। अब प्रदेश में कोई भी डीलर 4 हजार विक्टल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा। साथ ही चीनी का भंडारण 30 दिन से अधिक अवधि तक करने की अनुमति नहीं होगी।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर सभी कलेक्टरों को नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। डीलरों के लिए भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर अपने स्टॉक की जानकारी नियमित रूप से अद्यतन करना भी अनिवार्य किया गया है। हालांकि सरकारी खाते पर रखे गए स्टॉक अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए रखी गई चीनी पर यह सीमा लागू नहीं होगी। वहीं, बड़े पैमाने पर चीनी का उपयोग करने वाले थोक उपभोक्ताओं के लिए भी भंडारण की सीमा तय की गई है। हलवाई, मिठाई विक्रेता, शीतल पेय निर्माता और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे उपभोक्ता 15 दिन से अधिक अवधि के लिए चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

नरेला रक्षाबंधन महोत्सव में उमड़ा बहनों का स्नेह

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: विश्व के सबसे बड़े नरेला रक्षाबंधन महोत्सव में बहनों का उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है।

मंगलवार को महोत्सव के दूसरे दिन वार्ड क्रमांक 39, 40 और 75 में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान 36 हजार 854 बहनों ने सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग को रक्षासूत्र बांधकर अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया।

मंत्री सारंग ने कहा कि हर वर्ष लाखों बहनों से मिलने वाला प्रेम और आशीर्वाद उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंची बहनों से राखी बंधवाई और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि नरेला विधानसभा में सभी त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं और रक्षाबंधन महोत्सव नरेला परिवार का सबसे भव्य आयोजन बन चुका है।

महोत्सव के दौरान बहनों ने कतारबद्ध होकर मंत्री सारंग को

श्री नारायण गुरुदेव की 172वीं जयंती पर श्रद्धालुओं ने किया स्मरण



नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्र: संतनगर के सीटीओ क्षेत्र में श्री नारायण गुरुदेव भक्तजन समाज द्वारा श्री नारायण गुरुदेव की 172वीं जयंती श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाई गई। इस अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और श्रद्धालुओं ने विश्व कल्याण की प्रार्थना की।

कार्यक्रम में पार्षद कुसुम चतुर्वेदी मुख्य अतिथि रहीं, जबकि अखिल भारतीय अय्यप्पा सेवा संगम के अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय मलयाली एसोसिएशन के सचिव अनिल पी. नायर विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। नायर ने कहा कि श्री नारायण गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित और

वंचित समाज के उत्थान के लिए समर्पित किया। उनके विचार और संदेश आज भी समाज के लिए प्रासंगिक हैं।

अध्यक्ष पी. अरविंदाशन ने कहा कि श्री नारायण गुरु ने मानव मात्र के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का संदेश दिया। उन्होंने समाज में भेदभाव और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए समानता और सामाजिक एकता का मार्ग दिखाया। कार्यक्रम में दीवान सिंह, रईस अली और इंगल सहित कई अतिथि उपस्थित रहे। उपा सुदेवन, सुजाता रवि, जया विनोद, वेणु गोपाल सहित अनेक श्रद्धालुओं ने आयोजन में सहभागिता की। अंत में कन्हैया शर्मा ने आभार व्यक्त किया।



राखी बांधी। बुजुर्ग महिलाओं ने उनके निर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया।

कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर स्थानीय नागरिकों और बहनों ने पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया।

बग्गी, ढोल-ताशों और आतिशबाजी के बीच मंत्री को मुख्य मंच तक ले जाया गया। महोत्सव के पहले दिन 22 हजार 432 बहनों ने रक्षासूत्र बांधा था। पिछले वर्ष करीब 1 लाख 84

हजार 632 बहनों ने इस आयोजन में भाग लिया था। महोत्सव 8 सितंबर तक चलेगा। 3 सितंबर को वार्ड 76 और 59 में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

नाम सुधार सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं शालिनी भगत पिता श्री देवकृष्ण भगत वार्ड नं. 05 ग्राम अन्सरा तहसील वारासिन्धी जिला बालाघाट म.प्र. की निवासी हूँ। मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड में मेरा सरनेम (उपनाम) भगत लिखा हुआ है। किन्तु मेरे शैक्षणिक दस्तावेज अंकसूची में मेरा सरनेम दर्ज नहीं है। शालिनी एवं शालिनी भगत दोनों मेरे ही नाम है अतः मुझे शालिनी भगत के नाम से जाना पहचाना जावे।

शालिनी भगत
ग्राम अन्सरा
वारासिन्धी जिला बालाघाट म.प्र.

1464

नाम परिवर्तन सूचना

मे बबीता बाई पति श्री रामबाबू, आयु वयस्क निवासी ग्राम सुकली, पोस्ट बोडा तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजनंद खावरा म.प्र. 465685 का होकर 'शायबुर्क कथन करती हूँ कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम गुड्डिबा गुड्डी बाई 'Guddi Bai' अंकित हो गया है जबकि मेरा सही व वास्तविक नाम एवं प्रचलित नाम बबीता बाई 'Babita Bai' है जो कि मैं 'शैक्षणिक दस्तावेजों, सम्म आई.डी. में चला आ रहा ह। अतः उक्त कारण से मेरे आधार कार्ड में गुड्डिबा अंकित नाम गुड्डी बाई के स्थान पर वास्तविक व सही एवं सभ्य में संबोधित किये 'Guddi Bai' जा रहे प्रचलित नाम बबीता बाई 'Babita Bai' ही जाना प पहचाना जावे।

आधार कार्ड पर अंकित नाम/पुराना नाम
गुड्डी बाई 'Guddi Bai'
नया नाम- बबीता बाई 'Babita Bai '

1463

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने भूमि (1) खसरा नंबर 1380/2 (S) में से रकबा 0.035 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 1381/2 (S) में से रकबा 0.012 हेक्टेयर, इस प्रकार कुल रकबा 0.047 हेक्टेयर अर्थात् 0.115 एकड़ अर्थात् 5059 वर्गफिट अर्थात् 467.56 वर्गमीटर भूमि एवं (2) खसरा नंबर 1380/2 (S) में से रकबा 0.028 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 1381/2 (S) में से रकबा 0.018 हेक्टेयर, इस प्रकार कुल रकबा 0.046 हेक्टेयर अर्थात् 4951 वर्गफिट अर्थात् 467.75 वर्गमीटर भूमि जो ग्राम बरखेड़ा सालम, पटवारी हल्का नंबर 35/26, विकास खण्ड पंदा, तहसील हुजुर, जिला भोपाल (म.प्र.) में भूमिसवामी प्रतीप सरसेना पुत्र श्री मदन लाल, पता- 334, दिवेकानंद कोलेज के समाने, सीहोर (म.प्र.) के नाम दर्ज है, से क्रय करने हेतु बयाना राशि अदा कर वणिज निष्पादित किया गया है। उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति, किसी व्यक्ति, संस्था, सोसायटी के पक्ष में बंधक, रहन, दान हो अथवा कोई आपत्ति हो या हित रखते हो तो जाहिर सूचना के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में मय दस्तावेज उपस्थित होकर, आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके उपरांत कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं मेरे पक्षकार उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का रजिस्टर्ड विक्रय अनुबंध कर अपने पक्ष में निष्पादित कराने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

एस. एल. पाण्डेय, एडवोकेट
पता- म.नं. 1532, गली नं. 14, नवजीवन कॉलोनी, छेला दशहरा मैदान के पीछे, भोपाल (म.प्र.)
मो.नं. 98933383847

1461

कार्यालय राजस्व निरीक्षक नजूल वृत्त एस. पी. नगर जिला भोपाल

क्र./सी 126 K. भोपाल दिनांक 27/8/2026

सूचना पत्र

न्यायालय तहसीलदार नजूल वृत्त एम.पी. नगर जिला भोपाल आ. आ.बी.डी. भार्गव की ग्राम खजूरीकला में स्थित भूमि खसरा नं. 466/15/2,467/2रकबा 0.075 हे. के बटाक की कार्यवाही हेतु दिनांक 07/09/26 नियत की गई है। आप सर्व संबंधित (विक्रेता/पड़ोसी) कृषक मौके पर भूमि से संबंधित दस्तावेज रवीकृत बटाक लेकर उपस्थित रहें भू-खण्ड विक्रेता स्वयं स्थिती स्पष्ट करने हेतु मौके पर उपस्थित रहे। आवेदक बटाक हेतु आवश्यक ड्राइंगें, बांस, मौके पर उपलब्ध करावे। कार्यवाही राजस्व निरीक्षक/संबंधित हल्का पटवारी/गटित टीम द्वारा किया जाएगा। सूचना-पत्र तामिली की हस्ताक्षर कर सूचित होंगे। सूचना तामिली बाद अनुपस्थिती की दशा में एक पक्षीय कार्यावाही की जा सकेगी। विशेष परिस्थितियों में बटाक तारीख में बदलाव किया जा सकता है।

राजस्व निरीक्षक
नजूल वृत्त एस.पी. नगर जिला भोपाल

1464

-: जाहिर सूचना -:

मैं अपने पक्षकार के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पक्षकार ने (1) श्री बारा सिंह आलजय श्री रतन सिंह, (2) उषा बाई पत्नी बारा सिंह दोनो आयु-वयस्क, निवासी-चंद्रखेड़ी, भोपाल म.प्र. के आधिपत्य की तीन किता भूमि खसरा क्रमांक 102/2(एस) रकबा 0.1012 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 103/1 (एस) रकबा 0.4888 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 123/1 (एस) रकबा 0.2222 हेक्टेयर तीनों खसरा का कुल रकबा अर्थात् 0.8097 हेक्टेयर अर्थात् 2.00 एकड़ भूमि जो कि ग्राम कुवारा, पटवारी हल्का-13, विकास खंड फंदा तहसील हुजुर जिला भोपाल म.प्र. में नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है। जिसको क्रय करने हेतु मेरे पक्षकार द्वारा टोकन/बयाना राशि अदा कर दी है यदि उक्त भूमि के संबंध में किसी बैंक, सोसायटी, व्यक्ति, संस्था आदि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा लेन-देन या वाद विवाद या हिंसा, दान, गिरवी, वसीयत, विक्रय अनुबंध, विक्रय विलेख आदि हो तो वह इस जाहिर सूचना के प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर मेरे कार्यालय मे संपूर्ण सामग्य के साथ उपस्थित होकर मय दस्तावेज के आपत्ति प्रस्तुत करें समय अवधि व्यतीत होने के पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य व स्वीकार नहीं होगी तथा मेरा पक्षकार उक्त भूमि का पंजीयन अपने पक्ष मे कराने के लिये स्वतंत्र होंगे।

राजेंद्र सरसेना अधिकृतता
सूचना लां चेम्बर
कार्या-भोपाल नं. 58, हुमान मौरि केम्प, कोन्द गोपाल मो. 8959237282

1460

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री नवीन कुमार जैन आ.स्व.श्री एस.पी.जैन आयु वयस्क नि. म.नं.-37, सूर्यनगर, वैशाली, कोटारा सुल्तानाबाद जिला भागलपुर म.प्र. द्वारा जावे मिया आ.श्री जमीनउद्वेदन आयु वयस्क नि.- बदरकासानी, जिला सीहोर म.प्र. के माध्यम से सलीमउद्वेदन आ.श्री सलीमउद्वेदन, आयु वयस्क निवासी अहमदल दोराहा, हुमान जी के मौरि के पास, नाम बदरकासानी, जिला सीहोर म.प्र.से एक किता कृषि भूमि खसरा नं. - 108/1 रकबा 0.947 हेक्टेयर व खसरा क. 108/2, रकबा 0.7570 हेक्टेयर व खसरा क. 107/2,175/2 रकबा 1.5980 हेक्टेयर कुल रकबा 3.302 हेक्टेयर अर्थात् 8.15 एकड़ है जो भूमि कृष्ण पुलिसका क.एसएल 802073 स्थित ग्राम बदरकासानी प.ह.नं. 14, जिला सीहोर म.प्र. को क्रय करने का अनुबंध निष्पादित किया है जिसकी सत्यता सिमायें निम्न है-पूर्व में शमीम उददीन की भूमि, पश्चिम में - रास्ता, उत्तर में - रास्ता, दक्षिण में - महालाल पटेल की भूमि अतः इस आम सूचना के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जात है कि श्री नवीन कुमार जैन आ.स्व.श्री एस.पी.जैन आयु वयस्क नि. म.नं.-37, सूर्यनगर, वैशाली, कोटारा सुल्तानाबाद जिला भोपाल म.प्र.की सहमति एवं जानकारी के बिना किसी प्रकार का कोई भी संयवहार आदि एक किता कृषि भूमि खसरा नं.-108/1 रकबा 0.947 हेक्टेयर व खसरा क. 108/2, रकबा 0.7570 हेक्टेयर व खसरा क.107/2,175/2 रकबा 1.5980 हेक्टेयर व खसरा क.3.302 हेक्टेयर अर्थात् 8.15 एकड़ है जो भूमि कृष्ण पुलिसका क.एसएल 802073 स्थित ग्राम बदरकासानी प.ह.नं. 14, जिला सीहोर म.प्र. के संबंध में न करे और यदि किया गया है अथवा किया जाता है तो वह संयवहार स्वयं उत्तराधिकार, शुल्क होकर निरस्त माना जायेगा एवं एक आयाधिक कृष्ण माना जायेगा जिसके संबंध में मेरा पक्षकार अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। दस्तुनर आम सूचना प्रकाशित की जाती है।

VIVEK SHARMA
ADVOCATE
Office:145, Aradhana Nagar,
Kotra Sulatanabad,
Bhopal (M.P.)462003
Mobile: 8319620307

1465

जाहिर सूचना

म.नं.-HIIG (डुलेक्स) 126,ई-7 एक्सटेंशन अररा कॉलोनी, शाहपुरा, भोपाल

मैं अपने पक्षकार की ओर से व निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ की मेरे पक्षकार श्रीमती प्रेमलता पाटक पत्नी स्वर्गीय श्री प्रताप नारायण म.प्र. के आधिपत्य की तीन किता भूमि खसरा क्रमांक 102/2(एस) रकबा 0.1012 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 103/1 (एस) रकबा 0.4888 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 123/1 (एस) रकबा 0.2222 हेक्टेयर तीनों खसरा का कुल रकबा अर्थात् 0.8097 हेक्टेयर अर्थात् 2.00 एकड़ भूमि जो कि ग्राम कुवारा, पटवारी हल्का-13, विकास खंड फंदा तहसील हुजुर जिला भोपाल म.प्र. में नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है। जिसको क्रय करने हेतु मेरे पक्षकार द्वारा टोकन/बयाना राशि अदा कर दी है यदि उक्त भूमि के संबंध में किसी बैंक, सोसायटी, व्यक्ति, संस्था आदि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा लेन-देन या वाद विवाद या हिंसा, दान, गिरवी, वसीयत, विक्रय अनुबंध, विक्रय विलेख आदि हो तो वह इस जाहिर सूचना के प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर मेरे कार्यालय मे संपूर्ण सामग्य के साथ उपस्थित होकर मय दस्तावेज के आपत्ति प्रस्तुत करें समय अवधि व्यतीत होने के पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य व स्वीकार नहीं होगी तथा मेरा पक्षकार उक्त भूमि का पंजीयन अपने पक्ष मे कराने के लिये स्वतंत्र होंगे।

महदीप-शंकरलाल (एडवोकेट)
182, जौन-1, एम.पी. नगर, भोपाल
मोबाइल:-9303134560

1459